राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 5(51)कार्मिक/क–2/88 पार्ट 22568 जयपुर, दिनांक

समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

विषयः–राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति के नियम, 1996 के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति के नियम, 1996 के नियम 10 के उप नियम (3) तहत मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को कार्मिक की मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होता हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.09.1997 द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया हैं कि कर्मचारी की मृत्यु के समय पात्र आश्रित को नियुक्ति देय हैं, किसी अवयस्क के वयस्क होने तक प्रकरणों को लंबित रखने का प्रावधान नहीं हैं। उक्त नियम, 1996 के अन्तर्गत मृत्यु के समय पात्र आश्रित नही होने अथवा किसी पात्र आश्रित द्वारा राजकीय सेवा नहीं करने की मन्तव्य दर्शाने पर आवेदन को भविष्य के लिए लंबित नहीं रखा जावेगा।

अतः कि ऐसे मृतक सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु के समय मृतक के पत्नी/पति, यथास्थिति उपलब्ध नहीं हैं तो परिवार के ज्येष्ठ पुत्र/पुत्री द्वारा 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा बालिग होने की तिथि से उक्त निर्धारित समय सीमा (अर्थात 90 दिवस) अथवा समय–समय पर संशोधित समय सीमा में आवेदन करने पर अनुकम्पा नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

(कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
7. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।

Signature valid
Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.06.05 23:06:37 IST
Reason: Approved

शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 15147621